33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

APP
Crll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। अत: आदेश की पालना में दिनांक 20/01/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
20/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार व इंतजार तामिल पत्रावली दिनांक 29/01/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
29/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 07/02/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	07/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई अत: आदेश की पालना में दिनांक 19/02/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	19/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पैरोकार सरकार उप०। तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। मूल प्रकरण पर वादी वकील की बहस सुनी। वादपत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी	MTPR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19/2/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—175 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः— 25.11.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 19.02.2025

उनवान— 1. गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना जाति मीना निवासी मैडी का पटवार हल्का मूण्डधिस्या भू.अ. निरी. क्षेत्र बडियाल कला, तहसील बांदीकुई।

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई

दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 19.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ाता संख्या नया 19 पुराना 15 खसरा नम्बर 260 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 261 रकबा 07 हैक्टे, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.38 हैक्टे, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.61 हैक्टे, खसरा म्बर 271 रकबा 0.04 हैक्टे, कुल किता 05 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 27.52 पया वाके ग्राम मैडी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। खाता संख्या नया 9 पुराना 15 में वादी का नाम बतौर खातेदार गुल्ला पुत्र गंगाधर जाति मीना हिस्सा पूर्ण राजस्व कॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो रहा है जो सहवन से गलत दर्ज हो रहा है। गुल्ला पुत्र गंगाधर दी का घर का बोलता नाम है जबकि वादी का सही नाम गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि में वादी का नाम लाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना दर्ज है जो सही है। गुल्ला पुत्र गंगाधर व गुलाब चन्द मीना त्र गंगाधर मीना एक ही व्यक्ति है तथा वादी का गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना ही सही ाम है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया की जमाबन्दी में गुल्ला पुत्र गंगाधर हिस्सा पूर्ण का लत इन्द्राज हो रहा है । उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में वादी व वादी के वारिसान को ूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या विकय करने, लोन लेने, केडिट कार्ड बनवाने किसी ी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा न हो इसलिये उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत में वादी न्यायालय से इस अमर की उदघोषणा की डिकी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है कि खाता संख्या नया 19 पुराना 15 ग्राम मैडी का बास पटवार हल्का मूण्डधिस्या भू. अभि.नि. क्षेत्र बडियाल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादी के गलत नाम गुल्ला पुत्र गंगाधर हिस्सा सम्पूर्ण को दुरूस्त करके वादी का सही नाम गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना हिस्सा पूर्ण जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी राजस्थान सरकार भूमि धारी व रिकॉर्ड संधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है । न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय हाजा को सुनवाई का पूरा—पूरा अधिकार प्राप्त है। खाता संख्या नया 19 पुराना 15 खसरा नम्बर 260 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 261 रकबा

Scanned with OKEN Scanner

07 हैक्टे, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.38 हैक्टे, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.61 हैक्टे, खसरा म्बर 271 रकबा 0.04 हैक्टे, कुल किता 05 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 27.52 पया वाके ग्राम मैडी का बास, पटवार हल्का मूण्डधिस्या भू.अभि.नि. क्षेत्र बडियाल कला तहसील दीकुई जिला दौसा में वादी के नाम के गलत इन्द्राज गुल्ला पुत्र गंगाधर हिस्सा पूर्ण को दुरूस्त र वादी का सही नाम गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना हिस्सा पूर्ण दर्ज कर वादी को तेदार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित फरमाया जावे कि उक्त रुस्ती का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई (भू. अ.) से प्रकरण में पत्र दिनांक 19.02. 25 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन या। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त रिपोर्ट का लोकन किया गया। प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार पटवारी एवं भू.अ.निरी. बडियाल कलां के सार गुल्ला पुत्र गंगाधर व गुलाब चन्द पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मेडी का बास एक क्ति है। अत : इसके नाम गुल्ला पुत्र गंगाधर के जगह गुलाब चन्द पुत्र गंगाधर शुद्ध किया ता है तो कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

हमने प्रस्तुत वाद पत्र पर प्रार्थी को सुना। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय दस्तावेज व सीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन से वादी के नाम गलत इन्द्राज गुल्ला पुत्र गंगाधर होना प्रतीत होता है।

अतः वादी बहस पर मनन करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय दस्तावेज व लदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या नया 19 पुराना 15 खसरा नम्बर 260 रकबा 0.02 हैक्टे, ा नम्बर 261 रकबा 0. 07 हैक्टे, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.38 हैक्टे, खसरा नम्बर 269 रकबा हैक्टे, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.04 हैक्टे, कुल किता 05 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वाके मैडी का बास, पटवार हल्का मूण्डधिस्या भू.अभि.नि. क्षेत्र बडियाल कला तहसील बांदीकुई दौसा में वादी के नाम के गलत इन्द्राज गुल्ला पुत्र गंगाधर हिस्सा पूर्ण को दुरूस्त कर वादी सही नाम गुलाब चन्द मीना पुत्र गंगाधर मीना हिस्सा पूर्ण दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित जाता है। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। लदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील ल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर क्षरित किया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई